# बिहार सरकार,
## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
## कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.स. / 87 / 2020-

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक–

विषय – सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज परियोजना निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.09 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज परियोजना निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.09 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, बुडको सुपौल का प्रस्ताव वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. प्रस्तावित परियोजना निर्माण स्थल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज परियोजना निर्माण में 0.09 हे० वन भूमि के अपयोजन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल एवं वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ द्वारा किया गया हैं।

3. परियोजना निर्माण के क्रम में अपयोजित होने वाली वन भूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा, Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि सुपौल बस स्टैण्ड से गौरवगढ़ चौक तक कि भूमि अधिसूचित वन भूमि कि श्रेणी में आते हैं। उक्त परियोजना निर्माण स्थल पर कुल 177 वृक्ष अवस्थित है जिसमें से 18 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है शेष 159 पौधों को परियोजना निर्माण के क्रम में पुनस्थापित कर बचाए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में मात्र 18 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.2 प्रतिवेदित किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान से दूरस्थ है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.09 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 56,340/– (रूपये छप्पन हजार तीन सौ चालीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों (18) के दस गुणे अर्थात् 180 पौधों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1148/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.स./87/2020-735 दिनांक– 26/08/2020

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, बुडको सुपौल/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26-8-2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।